प्रेषक,

आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पत्रांकःसी0 / /एन0ओ0सी0 / 2012–13 दिनॉक 02.04.2013

विषयः–ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10 / 441 खलासी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका शासनादेश संख्याः1916 / 15–7–09–01(299) / 2007 दिनॉक 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक 19–03–2013 में लिए गये निर्णयानुसार ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10 / 441 खलासी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालयं माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

5– संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोंत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(शालिनी प्रसाद)
आयुक्त
कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ0सं0:सी0/ 87-93 /2012–13 दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित–

1– सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

3– शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।

5– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6– प्रबन्धक/सचिव, ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441 खलासी लाइन, कानपुर नगर।

7– गार्ड फाइल।

2.4.13
(विनय कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक / प्र0श्रे0लि0–4 / ——— / 2020–21 दिनांक 19.3.21

विज्ञप्ति / आदेश

कार्यालय के पत्रांक / प्र0श्रे0लि0–4 / 32025–34 / 2018–19 दिनांक 30–11–2018 के द्वारा, **एलन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441, खलासी लाइन कानपुर नगर को कक्षा प्री से 8 तक "अग्रेजी माध्यम"** को सत्र 2018–19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। विद्यालय प्रबन्धक के द्वारा किये गये आवेदन–पत्र / प्रार्थना–पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी / जॉच अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त संस्तुति के आलोक में निम्न विवरण के अनुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विद्यालय संचालन की अनुमित इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन शासनादेश संख्या 89 / अडसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर –2–(1) में वर्णित शर्तो (यथासंशोधित) का पालन निर्धारित समय के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	**एलन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441, खलासी लाइन कानपुर नगर**	शास्त्री नगर	अग्रेजी माध्यम	कक्षा प्री से 8 तक	पत्रांक / प्र0श्रे0लि0–4 / 32025–34 / 2018–19 दिनांक 30–11–2018

(डा0 पवन कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0 / प्र0श्रे0लि0–4 / 30429-38 / 2020–21 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
5– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
6– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
8– सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धक।
9– कार्यालय गार्ड फाइल।

Pawan Kumar

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।